फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय--मंडल शस्त्रा विभाग, तृतीय तल, एलआईसी भवन, सबसिटी सेंटर रेती स्टेण्ड, उदयपुर, राजस्थान तथा शाखा कार्यालय–रेलमगरा जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री राजेश कुमार नाजकानी।

– प्रार्थी बैंक

बनाम

1. श्री डालचंद सेवक पिता श्री राम लाल सेवक, वार्ड नं.–3, रूपनारायण मंदिर के पास, गांव– आकोदरा, तहसील–नाथद्वारा, जिलाः राजसमंद

–अप्रार्थीगण / ऋणी

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 03 / 2023**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 26.06.2023 प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रेलमगरा, राजसमंद ने दिनांक 16.01.2023 को इस न्यायालय में धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं, जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी बैंक ने ऋणी श्री डालचंद सेवक पिता श्री राम लाल सेवक, वार्ड नं.–3, रूपनारायण मंदिर के पास, गांव – आकोदरा, तहसील – नाथद्वारा, जिलाः राजसमंद को ऋण करार संख्या 22597011000119 के द्वारा रूपये 7,00000 / – अक्षरे सात लाख रूपये का ऋण स्वीकृत किया था। अप्रार्थी / ऋणी द्वारा उक्त ऋण राशि के पुर्नभुगतान की सिक्यूरिटी के पेटे अपनी भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 46, आराजी नं. 301 क्षेत्रफल 550.5 वर्गफिट जो ग्राम आकोदरा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमंद में स्थित है, जिसे प्रार्थी बैंक के हक में बंधक रखा गया है । जिसके पड़ौस निम्नानुसार है :– पूर्वः श्री जमना लाल / सिया का मकान, पश्चिम : सामलाती रास्ता एवं भेरा सेवक का मकान, उत्तरः श्री देवीलाल / भेरा सेवक का मकान, दक्षिण : श्री हिरालाल / किशना सेवक का मकान है। अप्रार्थी / ऋणी द्वारा ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को बैंक द्वारा दिनांक 30.09.2021 को नियमानुसार अनर्जक परिसंपति (एन.पी.ए.) के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। ऋणी के ऋण खाते में रूपये 677074.69 / –रू. दिनांक 30.06.2022 तक शेष व देय निकलते है। उक्त ऋणी को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और	

कार्यालय जिला कलक्टर

पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 22.07.2022 को नोटिस दिया गया। धारा 13(2) का नोटिस ऋणी को 28.07.2022 को ऋणी द्वारा नोटिस प्राप्ति के पश्चात् भी संपूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी है और प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम की धारा 14 के साथ पठित धारा 13 की उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन प्रतिभूत आस्तियों को कब्जे में लेने का हकदार है। आवेदक बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रेलमगरा, द्वारा प्रस्तुत दावे के अनुसार बंधक अचल सम्पतिः ग्राम आकोदड़ा में स्थित भूमि एवं निर्माण आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 46, आराजी नं. 301 क्षेत्रफल 550.5 वर्गफिट है, जो श्री डालचंद सेवक पिता श्री राम लाल सेवक, वार्ड नं.–3, रूपनारायण मंदिर के पास, गांव – आकोदरा, तहसील – नाथद्वारा, जिलाः राजसमंद के नाम होकर संपति के पड़ौस निम्नानुसार है :– पूर्व : श्री जमना लाल/सिया का मकान, पश्चिमः सामलाती रास्ता एवं भेरा सेवक का मकान, उत्तर : श्री देवीलाल/भेरा सेवक का मकान, दक्षिण : श्री हिरालाल/किशना सेवक का मकान है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रेलमगरा, राजसमंद के प्राधिकृत अधिकारी को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, शाखा रेलमगरा, राजसमंद को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)